



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]  
No. 58]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 15, 2004/पौष 25, 1925  
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2004/PAUSA 25, 1925

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2004

का.आ. 69(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, बोर्ड के परामर्श से भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के का.आ. 599(अ) दिनांक 26-5-2003 के तहत यथा-संशोधित का. आ. 32(अ) तारीख 10-1-2003 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है। उक्त अधिसूचना की क्र.सं. 1क और इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा। क्र० सं० 1 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रखी जाएगी :—

1. अपर सचिव, —अध्यक्ष  
पशु कल्याण प्रभारी,  
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,  
नई दिल्ली-110003.

[फा० सं० 25/1/2003-ए डब्ल्यू डी/(बाल्यूस-II)]

देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—पशुओं पर परीक्षणों के नियंत्रण और अधीक्षण के प्रयोजनार्थ समिति के संबंध में पहले जारी की गई अधिसूचनाएं :—

- (1) सं० सा.का.नि. 238, दिनांक 8-2-1991
- (2) सं० 7-7/94 ए डब्ल्यू, दिनांक 23-2-1996
- (3) सं० का.आ. 140 (अ), दिनांक 17-2-2000
- (4) सं० का.आ. 547 (अ), दिनांक 25-5-2000
- (5) सं० का.आ. 894 (अ), दिनांक 7-9-2001
- (6) सं० का.आ. 32 (अ), दिनांक 10-1-2003
- (7) सं० का.आ. 599 (अ), दिनांक 26-5-2003
- (8) सं० का.आ. 955 (अ), दिनांक 21-8-2003

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS  
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2004

S.O. 69(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government, on the advice of the Board, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment & Forests, S.O. 32 (E) dated 10-1-2003, as amended *vide* notification S.O. 599(E) dated 26-5-2003. In the said notification, Serial No. 1A and the entries relating thereto, shall be deleted. Serial No. 1 and the entries relating thereto, shall be substituted by the entry namely :—

1. Additional Secretary, —Chairperson  
Incharge of Animal Welfare,  
Ministry of Environment & Forests  
New Delhi-110 003.

[F. No. 25/1/2003-AWD/(Vol. II)]

DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.

Note :—The following notifications were issued earlier in relation to the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals :—

- (1) No. G.S.R. 238 dated 8-2-1991
- (2) No. 7-7/94 AW dated 23-2-1996
- (3) No. S.O. 140 (E) dated 17-2-2000
- (4) No. S.O. 547 (E) dated 25-5-2000
- (5) No. S.O. 894 (E) dated 7-9-2001
- (6) No. S.O. 32 (E) dated 10-1-2003
- (7) No. S.O. 599 (E) dated 26-5-2003
- (8) No. S.O. 955 (E) dated 21-8-2003